



फॉर्म No. 3837

(बंदोबस्ती और दोहरी बंदोबस्ती पालिसियो के अंतर्गत बीमा योजनाएं)

नोट: यह फॉर्म नहीं भरना है। अगर फॉर्म में लिखी बातें सही लगें, तो उन्हें या तो पॉलिसी के पीछे कॉपी कर लें, या फिर, उचित कीमत के सही स्टाम्प पेपर पर लिख लें।

(समानुदेशन करने के निर्देशों के लिए पीछे देखें)

,
--- अपने प्यार और स्नेह के कारण, भारतीय जीवन बीमा निगम की --
--- नंबर की पॉलिसी के तहत मिलने वाले सभी पैसों का फ़ायदा, अपने जीवन बीमा की ,
कुल बीमा राशि समानुदेशित करता/करती हूँ।

मैं,

मेरे

आयु (संबंध और नाम)

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उसकी प्राप्ति निगम के लिए पर्याप्त निर्वहन होगी । बशर्ते कि मेरे उक्त पूर्वमृत्यु की स्थिति में या मैं उस तारीख तक ज़िंदा रहता/रहती हूँ जिस तारीख को पॉलिसी परिपक्व होगी, तो पॉलिसी पर मिलने वाले लाभ उसके तहत पैसे पाने का अधिकार मुझे वापस मिल जाएगा जैसे कि यह असाइनमेंट नहीं किया गया था

दिनांकित इस पर

दिन 20 का

साक्ष्य :

हस्ताक्षर.....समानुदेशन

पूरा नाम पदनाम

पता

पता

(बीमा धारक के हस्ताक्षर)

वरिष्ठ /शाखा प्रबंधक,
शाखा
भारतीय जीवन बीमा निगम

प्रिय महोदय,

दिनांक

20 स्थान

पालिसी नंबर ,

मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ * कि मैंने
ऊपर दी गई पॉलिसी को इन्हें समानुदेशित किया है:

(यहाँ समानुदेशित के नाम और पता का उल्लेख)

कृपया इस नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करें और संलग्न पॉलिसी/ समानुदेशन को अपने अभिलेख में पंजीकृत करने के पश्चात डीड को अंग्रेषित करें ।

** यह प्रमाणित अंगूठे का निशान है

जो की निहित अंतर्वस्तु को समझने के बाद लगाया गया है

आपका विश्वसनीय ,

साक्ष्य के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर/ समानुदेशित के अंगूठे की छाप)

* सूचना समनुदेशक या उसका/उसकी विधिवत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए ।

** प्रपत्र पर समनुदेशक के अंगूठे की छाप को मजिस्ट्रेट, शान्ति आयुक्त न्यायधिश या एक राजपत्रित अधिकारी, एक अधिकारी या विकास अधिकारी का पर कम से कम 3 साल स्थायी विकास अधिकारी को उन एजेंट्स में से भर्ती किया गया, या जो ज्वाइन करने से पहले मंडलप्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक क्लब के सदस्य थे। या अभिकर्ता से विकास अधिकारी बने थे क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब या अध्यक्ष का क्लब सदस्य बनने से पहले, बशर्ते वह व्यक्ति की पहचान से पूरी तरह संतुष्ट हो , समनुदेशक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित कराना होगा । साक्ष्य को उपरोक्तानुसार प्रमाणित करना चाहिए ,
निर्देश

(1)अगर कोई बदलाव करना ज़रूरी समझा जाए, तो इस मामले में, पीछे छपे फॉर्म की कॉपी या तो पॉलिसी के पीछे लगानी चाहिए, जिस स्थिति में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी या सही कीमत के एक अलग (स्पेशल एडहेसिव या नॉन-ज्यूडिशियल) स्टाम्प पेपर पर लगानी चाहिए। समानुदेशन में शामिल पार्टियों को पॉलिसी या असाइनमेंट डीड, जैसा भी हो, भेजने से पहले यह पक्का कर लेना चाहिए कि उस पर सही स्टाम्प ड्यूटी दी गई है।

(2) संपत्ति-भागी का पूरा नाम पता व आयु अवश्य होना कहा गया.

(3)समानुदेशक को समानुदेशी के अलावा किसी और गवाह के सामने अंग्रेजी में समानुदेशन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अगर समानुदेशक को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसे है, तो उसे अंग्रेजी जानने वाले किसी व्यक्ति के सामने समानुदेशन पर हस्ताक्षर करना होगा और अगर वह अनपढ़ है, तो उसे मजिस्ट्रेट, शान्ति न्यायाधीश , गज़ेटेड ऑफिसर, कम से कम 3 साल के अनुभव वाले अधिकारी या विकास अधिकारी या अभिकर्ता भर्ती किए गए स्थायी विकास अधिकारी के सामने समानुदेशन पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो जॉइन करने से पहले मंडल प्रबन्धक या शाखा क्लब के सदस्य थे या ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती किए गए विकास अधिकारी फिसर जो जॉइन करने से पहले क्षेत्रीय या अध्यक्षीय क्लब के मेंबर थे, बशर्ते वह समानुदेशन करने वाले व्यक्ति की पहचान से पूरी तरह संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में साक्ष्य को नीचे दिए गए तरीके से प्रमाणित करना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए समानुदेशन की सामग्री मैंने समानुदेशी को स्थानीय भाषा में समझाया था उसने अच्छी तरह से समझने के बाद मेरी उपस्थिति में अपने साइन/बाएं अंगूठे का निशान लगाया था।

(4) अगर आप स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर या कोई और बात लिखते हैं, तो उसके नीचे उसका अंग्रेजी अनुवाद लिखा होना चाहिए।

(5) असाइनमेंट के निष्पादन के तुरंत बाद, पॉलिसी या असाइनमेंट डीड को असाइनमेंट के पंजीकरण के लिए निगम के सर्विसिंग कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जिसके साथ असाइनमेंट का नोटिस अधिमानतः पीछे मुद्रित फॉर्म में हो। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जहाँ पॉलिसी का पैसा देना है, वहाँ लागू किसी कानून के तहत कोई असाइनमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ काम नहीं करेगा और असाइनी या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को पॉलिसी के पैसे के लिए मुकदमा करने का कोई हक नहीं देगा, जब तक कि असाइनमेंट और पॉलिसी जिस पर असाइनमेंट या असाइनमेंट डीड की मूल प्रति हो या असाइनमेंट की कॉपी, असाइनर और असाइनी दोनों या उनके सही तरीके से प्राधिकृत अभिकर्ता कॉर्पोरेशन को न दे दें और असाइनमेंट के तहत क्लेम की प्रायोरिटी कॉर्पोरेशन के सर्विसिंग ऑफिस में असाइनमेंट के नोटिस मिलने के आदेश से तय होगी, जिसके ज़रिए पॉलिसी सर्विस की जाती है, न कि असाइनमेंट पूरा होने की तारीख से

(6) अगर असाइनी नाबालिग है, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक वसीयती गार्जियन अपॉइंट करना सही है। ऐसा अपॉइंटमेंट सिर्फ असाइनी के पिता ही कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट के माध्यम से करना होगा नाबालिग शादीशुदा लड़की की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन का अपॉइंटमेंट सिर्फ कोर्ट से ही किया जा सकता है। आवेदन करने पर निगम से निर्देशों के साथ गार्जियन के अपॉइंटमेंट का फॉर्म मिल सकता है।

(टिप्पणी : यदि इस शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा)